समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते है।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, COTPA-2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्त्ता को रूपये 200/-तक जुर्माना किया जा सकता है। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :-

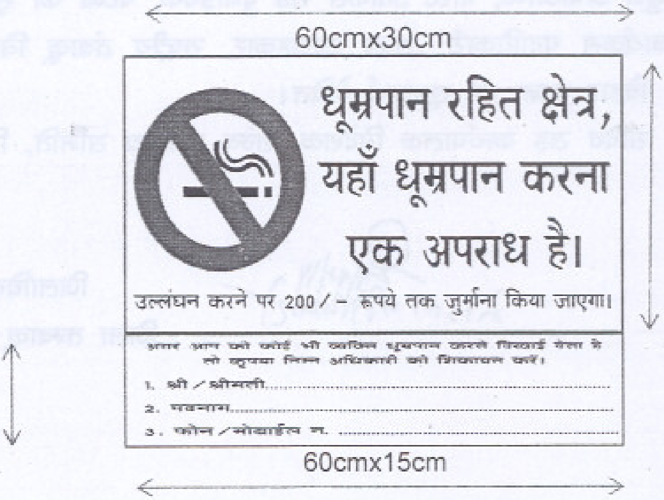

अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट

d/manoj/toboco/letter

एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 रू0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में **प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे।** यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

नोडल पदाधिकारी 03/02/14

03/02/14

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
मधेपुरा

ज्ञापांक ......321....../गो0 मधेपुरा, दिनांक 03/02/2014

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नोडल पदाधिकारी 03/02/14

03/02/14

जिलाधिकारी –सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
मधेपुरा।

d/manoj/toboco/letter